षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.02.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री राजेन्द्र कुमार, स०वि०स०	''राज्य के समुचित सामुदायिक विकास हेतु प्रखंड का गठन किया गया था । प्रत्येक प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पूर्व में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की पदस्थापना होती थी, लेकिन कालान्तर में पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाने लगा । पुनः सरकार द्वारा ग्रामीण विकास सेवा का गठन कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षक के समतुल्य वेतन पर ही इन्हें पदस्थापित किया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण विकास सेवा संघ हड़ताल पर भी रहे हैं । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का वेतनमान कम होने से प्रखंड के प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । अतएव बिहार ग्रामीण सेवा के पदाधिकारियों के वेतनमान में सम्मानजनक वृद्धि करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० डॉ० अशोक कुमार, स०वि०स० डॉ० मुहम्मद जावेद, स०वि०स०	''राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु चर्चित स्थानों के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलाने हेतु सरकार ने माननीय सदस्यों एवं जिला पदाधिकारी से पर्यटन स्थलों की सूची की मांग की थी ताकि राज्य के पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण हो और उन विकसित स्थलों पर पर्यटक आकर्षित हों, लेकिन सारण जिला सहित अधिकांश जिलों से प्राप्त अनुशंसाओं पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय नहीं किया गया है । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, छपरा के ज्ञापांक-26 मु०, दिनांक-07.03.2018 में वर्णित स्थलों का चयन भी दरकिनार किया गया है । अतएव राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों का चयन, जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पर्यटन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/19- 214 / वि०स०, पटना, दिनांक-16 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 16/2/19
(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/19- 214 / वि०स०, पटना, दिनांक-16 फरवरी, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

ह० 16/2/19
(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।